फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :— 62/2024

किशन लाल **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण श्री नाथूलाल शर्मा हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 30.04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) चाकसू(जयपुर)	
30.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0टे0 एक्ट बाबत् का पेश किया है। प्रार्थीगण विवादित भूमि खाता संख्या 13 के खसरा नंबर 932, 944, 945 कुल किता 04 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम मण्डालिया मैदा तहसील कोटखावदा मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्णा पिता छीतर दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम किशन पिता छीतर दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि अप्रार्थी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्णा पिता छीतर नाम दर्ज चली आ रही है। अतः जवाब सरकार एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी का नाम कृष्णा पिता छीतर के स्थान पर किशन पिता छीतर की जावें। अतः प्रार्थी का नाम किशन पिता छीतर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) चाकसू(जयपुर)	